सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 545 राँची, मंगलवार 29 मई, 2018 (ई०)

### खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

---

संकल्प

21 दिसम्बर, 2017

**विषय:- खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति योजना से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 4620, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 में आंशिक संशोधन के संबंध में ।**

**संख्या – खा० प्र०-02-अधि०-01/2017 - 5039,** -- राज्य के धान उत्पादक किसानों को उनके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने तथा राज्य को धान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभागीय संकल्प संख्या 4620, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 निर्गत किया गया था । निर्गत संकल्प में पलामू प्रमण्डल अंतर्गत में धान अधिप्राप्ति हेतु भारतीय खाद्य निगम को नामित किया गया है । भारतीय खाद्य निगम द्वारा मानव संसाधन की कमी के कारण सभी प्रखण्ड़ों में अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन नहीं किया जा रहा है । किसानों के सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विभागीय संकल्प संख्या 4620, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 में निम्नांकित संशोधन किया जाता हैः-

2. कंडिका 8 में अंकित "खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में धान अधिप्राप्ति का कार्य राज्य के पलामू, दक्षिणी छोटानागपुर एवं कोल्हान प्रमण्डल में भारतीय खाद्य निगम एवं उसके

द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर एन॰सी॰एम॰एल॰ द्वारा किया जायेगा । झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, राँची द्वारा उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल एवं संथाल परगना प्रमण्डल में अधिप्राप्ति का कार्य किया जाएगा'' को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर निम्नांकित प्रावधान प्रतिस्थापन किया जाता हैः-

खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में धान अधिप्राप्ति का कार्य राज्य के पलामू, दक्षिणी छोटानागपुर एवं कोल्हान प्रमण्डल में भारतीय खाद्य निगम एवं उसके द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर्स एन॰सी॰एम॰एल॰ द्वारा किया जायेगा । झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, राँची द्वारा उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, संथाल परगना प्रमण्डल एवं पलामू प्रमण्डल में अधिप्राप्ति का कार्य किया जाएगा ।

3. कंडिका 15 में अंकित ''उत्तरी छोटानागपुर एवं संथाल परगना प्रमण्डल में इंफोर्समेंट सर्टिफिकेट जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम द्वारा मिल में तैयार सी॰एम॰आर॰ के आधार पर ससमय निर्गत किया जाएगा । इस कार्य में विलम्ब के लिए जिला प्रबंधक पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी । चावल मिल का निबंधन जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा । इसके लिए जिला में स्थित मिल विहित प्रपत्र में आवदेन संबंधित जिलों के उपायुक्त को जमा करेंगे। भौतिक सत्यापन के पश्चात् जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस योजनान्तर्गत निबंधन करते हुए विहित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे । नोड्ल अभिकरण के जिला प्रबंधक द्वारा निबंधित मिल के साथ विहित प्रपत्र में अनुबंध किया जाएगा'' को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर निम्नांकित प्रावधान प्रतिस्थापन किया जाता हैः-

पलामू प्रमण्डल अंतर्गत जिन अधिप्राप्ति केन्द्रों पर अधिप्राप्ति का कार्य झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जाना है, उससे संबंधित इंफोर्समेंट सर्टिफिकेट एवं उत्तरी छोटानागपुर तथा संथाल परगना प्रमण्डल में इंफोर्समेंट सर्टिफिकेट जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम द्वारा मिल में तैयार सी॰एम॰आर॰ के आधार पर ससमय निर्गत किया जाएगा । इस कार्य में विलम्ब के लिए जिला प्रबंधक पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी। चावल मिल का निबंधन जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा । इसके लिए जिला में स्थित मिल विहित प्रपत्र में आवदेन संबंधित जिलों के उपायुक्त कार्यालय में जमा करेंगे । भौतिक सत्यापन के पश्चात् जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस योजनान्तर्गत् निबंधन करते हुए विहित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे । नोड्ल अभिकरण के जिला प्रबंधक द्वारा निबंधित मिल के साथ विहित प्रपत्र में अनुबंध किया जाएगा ।

4. कंडिका 17 में अंकित ''उत्तरी छोटानागपुर एवं संथाल परगना प्रमण्डल में विपत्र की तैयारी हेतु वांछित कागजात का संग्रहण नोड्ल अभिकरण के जिला प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा । जिला प्रबंधक तत्परतापूर्वक विपत्र तैयार कर एफ॰सी॰आई॰ को प्रेषित करेंगे तथा भुगतान के लिए लगातार सम्पर्क स्थापित करेंगे । एफ॰सी॰आई॰ से भुगतान प्राप्त करने के उपरान्त इसके त्वरित

वितरण के लिए नोड्ल अभिकरण व्यवस्था करेगी । किसानों को धान का भुगतान से संबंधित खर्च का ब्योरा एवं लेखा की सारी जिम्मेवारी जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी । भारतीय खाद्य निगम को आपूर्ति किये जाने वाले चावल से संबंधित खर्च का ब्योरा एवं लेखा की सारी जिम्मेवारी राज्य खाद्य निगम की होगी । उपरोक्त दोनों कार्य जिला आपूर्ति पदाधिकारी की देख-रेख एवं पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।'' को विलोपित करते हुए निम्नांकित प्रावधान प्रतिस्थापन किया जाता हैः-

पलामू प्रमण्डल अंतर्गत जिन अधिप्राप्ति केन्द्रों पर अधिप्राप्ति का कार्य झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जाना है, उससे संबंधित विपत्र एवं उत्तरी छोटानागपुर तथा संथाल परगना प्रमण्डल में विपत्र की तैयारी हेतु वांछित कागजात का संग्रहण नोड्ल अभिकरण के जिला प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा । जिला प्रबंधक तत्परतापूर्वक विपत्र तैयार कर एफ॰सी॰आई॰/भारत सरकार को प्रेषित करेंगे तथा भुगतान के लिए लगातार सम्पर्क स्थापित करेंगे । किसानों को उनके धान की कीमत का भुगतान से संबंधित खर्च का ब्योरा, लेखा एवं धान की मात्रा की सारी जिम्मेवारी जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी । भारतीय खाद्य निगम/झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को आपूर्ति किये जाने वाले चावल से संबंधित खर्च का ब्योरा, लेखा एवं सी॰एम॰आर॰ की मात्रा की सारी जिम्मेवारी राज्य खाद्य निगम की होगी । उपरोक्त दोनों कार्य जिला आपूर्ति पदाधिकारी की देख-रेख एवं पर्यवेक्षण में कराया जायेगा ।''

5. पलामू प्रमण्डल अंतर्गत जिन अधिप्राप्ति केन्द्रों पर अधिप्राप्ति का कार्य झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जाना है, उन केन्द्रों पर विभाग द्वारा टैबलेट, नमीमापक यंत्र, विश्लेषण किट, डिजिटल वैंईग मशीन एंव अन्य आवश्यक उपकरण की व्यवस्था की जाएगी । इसमें अनुमानित राशि का व्यय ''धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान शीर्ष उपबंधित राशि से किया जाएगा ।

6. अधिप्राप्ति एजेन्सियों के बीच कार्य क्षेत्र का बँटवारा भविष्य में विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जायेगा ।

7. विभागीय संकल्प संख्या 4620, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी ।

8. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 की बैठक की मद संख्या-06 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**डा॰ अमिताभ कौशल,**
सरकार के सचिव ।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 545 -- 50